


11.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही
नही की जा रही। वादी अधिवक्ता को पूर्व मे कई
अवसर दिये जा चुके है। वादी व वादी अधिवक्ता
को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असातन/वकालतन उपस्थित नही
आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही
आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम
हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ